(4) No business which is not on the agenda shall be considered at the meeting without the permission of the Chairman or in his absence the Vice-Chairman or the other presiding member, as the case may be.

5. Quorum.—(1) At every meeting of the Executive Committee one-third of its members shall form the quorum.

(2) If at any meeting quorum is not present, the presiding member shall, after waiting for thirty minutes, adjourn the meeting for such hour on the same day or following day or some other day as he may think fit and a notice of such adjournment shall be given to the members present as well as affixed on the Notice Board of the Council and the business which was to have been brought before the original meeting, had there been a quorum, shall be brought before the adjourned meeting and may be disposed off irrespective of the quorum.

6. Emergent meetings.—(1) The Chairman,—

(a) may call an emergent meeting of the Executive Committee to deal with any urgent matter requiring its attention;

(b) shall call an emergent meeting if he receives a requisition in writing signed by not less than five members and stating the purpose for which they desire the meeting to be called.

(2) A notice of every emergent meeting of the Executive Committee shall be given to all the members at least seven days before the date fixed for the meeting.

7. Minutes of the meetings.—(1) Immediately after each meeting of the Executive Committee, the Member-Secretary shall draw up the minutes of the meeting and submit the same to the Chairman, Vice-Chairman or the other presiding member, as the case may be, for his approval for taking further necessary action. The minutes so approved shall be circulated to the members of the Executive Committee.

(2) The minutes circulated under sub-regulation (1) shall be placed before the Executive Committee for confirmation and be subject to such modifications, if any, as the Executive Committee may deem fit to make therein, and the minutes so approved, shall be signed by the Chairman, Vice-Chairman or the other presiding member, as the case may be, and be entered in a book to be kept for that purpose.

[No. F. 1-69/88-AICTE]

DR. K. GOPALAN, Educational Adviser (T)
Deptt. of Education and
Member-Secretary AICTE

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) अधिनियम से अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् अधिनियम, 1987 (1987 का 52) अभिप्रेत है;

(ख) "परिषद" से अधिनियम की धारा 3 के अधीन स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अभिप्रेत है।

3. परिषद के साथ व्यक्तियों का संयोजन (1):—जहां परिषद की यह राय है कि उसके कृत्यों में से किसी के निर्वहन के लिए यह आवश्यक है कि किसी ऐसे व्यक्ति की, जिसकी उस विषय पर विशेषज्ञता है, सहायता या सलाह लेना आवश्यक है वहां परिषद ऐसे व्यक्ति को जब भी आवश्यक हो, परिषद की सहायता करने के लिए आमंत्रित कर सकती है।

(2) इस प्रकार संयोजित व्यक्ति परिषद के अधिवेशनों में से किसी विचार विमर्श में भाग ले सकते हैं यदि उनसे ऐसा करने को अपेक्षा की जाए किंतु वे मत देने के हकदार नहीं होंगे।

(3) उपविनियम (1) के अधीन परिषद के साथ संयोजित व्यक्ति से उसकी किन्हीं समितियों, कार्यकारी समूहों आदि की सहायता करने की अपेक्षा भी की जा सकती है।

(4) यदि विनियम (1) के अधीन परिषद के साथ संयोजित व्यक्ति अशासकीय है और दिल्ली का निवासी है तो वह केन्द्रीय सरकार के ग्रेड I के अधिकारियों को दिल्ली के दौरे पर अनुज्ञेय दैनिक भत्ते के समतुल्य भत्ते का ऐसे प्रत्येक दिन के लिए हकदार होगा जिस दिन परिषद या उसकी समिति या कार्यकारी समूह आदि का जिसके साथ वह संयोजित है, अधिवेशन वास्तव में होता है।

(5) यदि ऐसा व्यक्ति दिल्ली का निवासी नहीं है तो वह भारत सरकार द्वारा समितियां, जांच आयोगों, आदि के अशासकीय सदस्यों को यात्रा भत्ते की बाबत भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार जो समय समय पर यथासंशोधित अनुपूरक नियम, 190 के अधीन सरकारी आदेशों के रूप में सम्मिलित किए गए हैं, परिषद के ऐसे प्रत्येक अधिवेशन के लिए जिसके साथ वह संयोजित है, यात्रा भत्ता और दैनिक भत्ता प्राप्त करने का हकदार होगा।

(6) उपविनियम (4) और (5) में किसी बात के होते हुए भी यदि ऐसा व्यक्ति सरकारी सेवक है या किसी सरकारी उपक्रम का कर्मचारी है तो वह उसे लागू सुसंगत नियमों के अधीन अनुज्ञेय दर पर ही यात्रा भत्ते और दैनिक भत्ते का हकदार होगा।

[सं. एफ. 1-69/88-ए आई सी टी ई]

डा. के. गोपालन, शिक्षा सलाहकार (टी)
सदस्य सचिव, भारती तकनीकी शिक्षा परिषद्

नई दिल्ली, 29 दिसम्बर, 1992

सा. का. नि. 39 :—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम 1987 (1987 का 52) की धारा 7 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 23 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ (1) :—इन विनियमों का संक्षिप्त नाम अखिल भारतीय

New Delhi, the 29th December, 1992

G.S.R. 39.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 23 read with sub-section (1) of section 7 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the All India Council for Technical Education hereby makes the following regulations, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the All India Council for Technical Education (Association of Persons with the Council)